



उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सूभाष रोड, देहरादून

E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 10 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-10(09/51)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत एवं मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। विभागवार स्वीकृत बजट एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने विभाग एवं शासन स्तर पर तैयार किये गये आंकड़ों के मिलान पर भिन्नता पाये जाने को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिये कि सभी विभागाध्यक्ष अपने विभागीय बजट की गहनता से समीक्षा कर उसका मिलान शासन एवं राज्य योजना आयोग में करें ताकि आंकड़ों की समान स्थिति स्पष्ट रहे। उन्होंने निर्देश दिये कि आगामी 5 दिनों के अन्दर सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग की गहन समीक्षा कर विवरण तैयार कर आंकड़ों का मिलान कर लें, उसके पश्चात पुनः इसकी विभाग वार समीक्षा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी सचिवों को निर्देश दिये कि वे सम्बंधित जनपदों का भ्रमण कर स्वीकृत बजट एवं भौतिक लक्ष्यों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने को कहा।

बैठक में सचिव वित्त श्री अमित नेगी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि प्रदेश का कुल बजट प्राविधान 45585.08 करोड़ रूपए है तथा 25168.95 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की गई है, बजट प्राविधान के सापेक्ष जारी स्वीकृति 55.21 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि जिला सेक्टर के अन्तर्गत में बजट 550.00 करोड़ रूपए है। 200.00 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है, कुल बजट के सापेक्ष जारी स्वीकृति 36.36 प्रतिशत है। राज्य सेक्टर में बजट 35924.97 करोड़ रूपए है। 22101.62 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है, बजट के सापेक्ष जारी स्वीकृति 61.52 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि केन्द्रपोषित योजना में बजट 7597.84 करोड़ रूपए है। 2600.55 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की गई है, बजट के सापेक्ष जारी स्वीकृति 34.23 प्रतिशत है। जबकि बाह्य सहायतित योजना में बजट 1512.27 करोड़ है। 266.78 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है, बजट के सापेक्ष जारी स्वीकृति का 17.64 प्रतिशत है।

देहरादून 10 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-09(09/50)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से सोमवार को सचिवालय में इंडियन मेडिकल एशोसियेशन एवं संयुक्त चिकित्सक महासंघ के प्रतिनिधियों ने भेंट कर प्रदेश में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के प्राविधानों के तहत आने वाली समस्याओं से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हमारी प्राथमिकता है, आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके इसमें सभी चिकित्सा संगठनों व चिकित्सकों को अपना सहयोग देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए अपेक्षा की कि प्रदेश के निजि चिकित्सकों इंडियन मेडिकल एशोसियेशन संयुक्त चिकित्सक महासंघ के पदाधिकारी जारी गजट नोटिफिकेशन का गहनता से अध्ययन कर इस सम्बंध में राज्य हित को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव एक सप्ताह के अन्दर सचिव स्वास्थ्य को उपलब्ध कराये, प्राप्त सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा इस सम्बंध में विचार कर कतिपय अन्य राज्यों की भांति इस सम्बंध में अपनायी गई प्रक्रिया का संज्ञान लेकर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री ने इंडियन मेडिकल एशोसियेशन द्वारा चिकित्सा सम्बंधी भवनों के बाईलाज को व्यवहारिक बनाये जाने की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने इस सम्बंध में उपाध्यक्ष एमडीडीए को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य सलाहकर डॉ० नवीन बलूनी, सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा एवं इंडियन मेडिकल एशोसियेशन एवं संयुक्त चिकित्सक महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

भारत माता मंदिर, ऋषिकेश के स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने प्रदेश में आपदा राहत कार्यों के लिए सहायता के तौर पर मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 (पचास) लाख रूपए धनराशि का चैक भेंट किया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसके लिए उनका आभार व्यक्त किया है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व 8 सितम्बर को एल एंड टी के अधिकारियों ने भी उत्तराखण्ड में भारी वर्षा व आपदा से हुई क्षति को देखते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष, उत्तराखण्ड के लिए 5 करोड़ 45 लाख 37 हजार 896 रूपए की धनराशि का चैक भेंट किया था।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों/कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिये हैं, ताकि मा.न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों का शत-प्रतिशत पालन शीघ्रता से सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम की सीमा में हुए अतिक्रमणों को हर कीमत पर हटाया जायेगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारी चाहे कितना भी प्रभावीशाली क्यों न हो, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जो अतिक्रमण के चिन्हित भवनों से निशानों को मिटा रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का संज्ञान लेते हुए एफ.आई.आर. दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में भी कोई अतिक्रमण के चिन्हित भवनों से निशानों को मिटाता है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी।

श्री ओमप्रकाश ने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में सार्वजनिक मार्गों से अवमुक्त करायी गयी भूमि का प्रयोग मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने, फुटपाथ, नाली, यूटीलिटी डक्ट का निर्माण एवं ऑन रोड पार्किंग व वैंडर जोन विकसित किये जाने हेतु किया जाना है। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिये कि वैंडिंग जोन बनाने की कार्यवाही भी जल्द से जल्द की जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की दुकानों को अतिक्रमण के दौरान हटाया गया है, उनका रिकार्ड जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि वैंडिंग जोन बनने के बाद उन्हें दुकानें पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ आवंटित की जा सकें।

श्री ओमप्रकाश ने बताया कि आज सोमवार को इस अभियान के अन्तर्गत 93 अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व 04 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 8473 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण, 4730 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण व 133 अवैध भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भीड़ हिंसा को रोकने के लिए जारी किये गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन द्वारा पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रमुख सचिव श्री आनंद वर्द्धन ने बताया कि इसके लिए पुलिस, जिला प्रशासन व अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक जिले में इसके लिए उच्च स्तरीय नोडल अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं और अधिकारियों की जिम्मेवारी सुनिश्चित की जा रही है। खुफिया तंत्र को मजबूत किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत सम्मानपूर्वक जीवन जीने का सभी को अधिकार है। संविधान में जीवन के अधिकार को 'मूल अधिकारों' की श्रेणी में रखा गया है। भीड़ द्वारा हमला और हत्या को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकार पर 'वीभत्स' हमले के रूप में देखा जा सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में 'विधि का शासन' निहित है। यहाँ प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून का उल्लंघन न करे और किसी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधि न करें। यदि किसी व्यक्ति से कोई अपराध हुआ है तो उसे सजा देने का हक कानून को है, न कि भीड़ को। भीड़ हिंसा में शामिल व्यक्ति को कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।

प्रमुख सचिव गृह श्री आनंद वर्द्धन ने लोगों से अपील की है कि कानून को अपने हाथ में न लें और भीड़ हिंसा में शामिल न हों। पुलिस की सोशल मीडिया पर भी पूरी नजर है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करें। न तो स्वयं अफवाह फैलाएं और न ही अफवाहों का शिकार हों। हिंसा भड़काने वाले अराजक तत्वों के बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन में जानकारी दें, जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हरिद्वार नगर निगम अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए जनपद हरिद्वार में कूड़ा निस्तारण शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि शहर में कूड़ा निपटान की व्यवस्था ससमय सुनिश्चित न कि गई तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। ससमय कूड़ा निपटान व सार्वजनिक स्थलों की सफाई में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जनहित के कार्यों में अधिकारी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करे तथा सहयोगात्मक रवैया अपनाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सोमवार को सचिवालय में जनपद हरिद्वार के सौन्दर्यीकरण एवं हरितीकरण के सम्बन्ध में बैठक ले रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जिलाधिकारी हरिद्वार को जनपद हरिद्वार के बाहरी क्षेत्रों में बूचड़खानों से निकलने वाले खून व मांस को नालों में सीधा प्रवाहित करने की घटनाओं पर कड़ाई से रोक व सख्त निगरानी के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी हरिद्वार को बरसात के दौरान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के बन्द होने की घटनाओं के जांच के आदेश दिए। उन्होंने नालों को एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) से जोड़ने व सफाई सुनिश्चित करने हेतु तत्काल टेक्निकल सर्वे व अन्य प्रकरणों के निपटान के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमें 2021 हरिद्वार कुंभ से पूर्व राज्यभर के लगभग 135 नाले जिसमें कि 23 हरिद्वार में स्थित हैं की स्वच्छता व पुनर्जीवीकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने आगामी हरिद्वार कुंभ से पूर्व गंगा को निर्मल बनाये जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि नालों की साफ-सफाई व ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु दीर्घकालीन योजनाओं के साथ तत्काल प्रभाव वाली लघुकालीन योजनाओं पर भी कार्य करने की जरूरत है।

बैठक में परमार्थ निकेतन द्वारा चन्द्रेश्वर नाले को मात्र 5 दिन के बहुत कम अवधि में स्वच्छ व सौन्दर्यीकृत किए जाने के सफल प्रयास पर एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारियों द्वारा परमार्थ निकेतन के उक्त प्रयास को पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में अन्य नालों के ट्रीटमेंट व सौन्दर्यीकरण के लिए भी क्रियान्वित किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट को लागू करने हेतु शीघ्र ही टेक्निकल सर्वे करवाया जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिए कि जब तक राज्यभर के नालों के ट्रीटमेंट हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित नहीं कर लिए जाते विभिन्न नालों के तत्काल ट्रीटमेंट हेतु चन्द्रेश्वर नाले में किए गए सफल प्रयास को क्रियान्वित करने के संभावनाओं पर कार्य किया जाए।

बैठक के दौरान प्रशासन व सीएसआर फण्ड के सहयोग से जनपद हरिद्वार में विभिन्न घाटों के पुनर्विकास व सौन्दर्यीकरण, योगा पार्क विकसित करने, विभिन्न सड़कों, प्रवेश द्वारों व कुण्डों के सौन्दर्यीकरण, वृक्षारोपण, मल्टीलेवल पार्किंग विकसित करने पर चर्चा की गई।

बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, विधायक श्री आदेश चौहान, स्वामी यतीश्वरानन्द, श्री देशराज कर्णवाल, श्री प्रदीप बत्रा, श्री संजय गुप्ता, प्रमुख सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, सचिव श्री अरविंद ह्यांकी, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री दीपक रावत, परमार्थ निकेतन के स्वामी श्री चिदानन्द मुनि सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय ने सोमवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मा. उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के क्रम में सीबीएसई पाठ्यक्रम के गैर शासकीय विद्यालयों में एनसीईआरटी पुस्तकों के अतिरिक्त कतिपय विद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम में लाई गई अन्य पुस्तकों का एनसीईआरटी की दरों से अधिक मूल्य रखे जाने के संबंध में नामित किये गये नोडल अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारियों द्वारा बताया कि कतिपय स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकों के साथ ही अन्य पुस्तकें भी चलाई जा रही हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकों के अलावा अन्य किताबों को भी पाठ्यक्रम लगाने से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों को मा. उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया जाये व संबंधित स्कूलों को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया जाए। प्रत्येक स्कूल द्वारा पाठ्यक्रम में लगाई गई पुस्तकों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों की कोई कमी न हो। किताबे समय पर स्कूलों में उपलब्ध हो। उन्होंने शीघ्र ही एनसीईआरटी के अधिकारियों से इस संबंध में बैठक करने के निर्देश भी दिये।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि महापुरुषों की जयंती व पुण्य तिथि पर स्कूलों में नियमित कार्यक्रम आयोजित किये जाए। प्रार्थना सभाओं में महापुरुषों के जीवन परिचय व उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाए। छात्र-छात्राओं से भी इस प्रकार की गतिविधियां कराई जाए। स्कूलों में वार्षिकोत्सव भी आयोजित किये जाएं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षक व शिक्षक दंपति जो कैंसर व किडनी से पीड़ित हों तथा उनका डायलेसिस होता हो या उनके बच्चे इन रोगों से पीड़ित हों उनकी अलग से सूची बनाई जाए। डायट में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर ही योग्य प्रशिक्षकों को रखा जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में जिनमें छात्रों की संख्या बढ़ी है। ऐसे स्कूलों में जाकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कर लिया जाए। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

बैठक में सचिव शिक्षा डॉ. भूपेन्द्र कौर औलख, महानिदेशक शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आर.के. कुँवर, निदेशक अकादमिक श्रीमती सीमा जौनसारी, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डॉ. मुकल कुमार सती, अपर निदेशक एससीईआरटी श्री अजय नोडियाल, व शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

आपदा संवेदनशील उत्तराखण्ड में मददगार साबित होगा सामुदायिक रेडियो

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा आईडियोसिंक मीडिया कम्बाइन के सहयोग से "कम्यूनिटी रेडियो फॉर मॉस अवेयरनेस एण्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन" विषय पर सोमवार को देहरादून के एक स्थानीय होटल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिये इच्छुक लोगों को आमंत्रित एवं प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें राज्य सरकार से अनुदान देकर जन-जागरूकता, आपातकालीन सूचनाओं व विभिन्न विकासपरक योजनाओं से सम्बन्धित सूचनाओं को समुदाय एवं दूर-दराज के क्षेत्रों को पहुंचाना है।

कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों एवं अतिथि वक्ताओं का स्वागत करते हुए सचिव आपदा प्रबन्धन श्री अमित नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि आपदाओं की बढ़ती बारम्बारता, तीव्रता व परिमाण में आ रहे नाटकीय परिवर्तनों के लिहाज से आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) आज पूरे विश्व की आवश्यकता बन गया है। श्री नेगी ने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सम्प्रेषण संसाधनों का अपना अलग महत्व है और जब बात विषम भूगोल वाले उत्तराखण्ड की हो तो ऐसे में सामुदायिक रेडियो की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में जन समुदाय की खासी भागीदारी और जुड़ाव होता है इसलिये समाज में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इनकी स्थापना की जानी नितान्त आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी सामुदायिक रेडियो लाईसेन्सिंग नीति को काफी हद तक सरल बनाया गया है ताकि स्थानीय संस्थाएँ, विश्वविद्यालय, सिविल सोसाइटी, स्वैच्छिक संस्थान तथा गैर-सरकारी संगठन इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिये आगे आ सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

अपर सचिव श्री सविन बंसल द्वारा कार्यशाला का उद्देश्य तथा विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुये कहा कि राज्य में नये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के साथ ही पहले से संचालित रेडियो स्टेशनों की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक स्वावलम्बन प्रदान किया जाना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को मात्र स्वयं सहायता समूह व गैर सरकारी संस्थाओं तक सीमित न बताते हुये कहा कि यह गढ़वाल व कुमाऊँ के कॉलेजों विश्वविद्यालयों में चलाये जाने वाले मॉस कॉम विषय के लिये भी उपयोगी रहेगा। श्री बंसल ने कहा कि लोकल रेडियो द्वारा किये जा रहे प्रयास काफी सफल रहे हैं। रेडियो के माध्यम से ग्रामीण कृषक एवं अन्य गरीब तबके लोगों द्वारा अपनी बात समुदाय एवं सरकार को पहुंचाया जा सकता है।

बतौर विशेष अतिथि उपस्थित हुए मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट ने अपने सम्बोधन में सामुदायिक रेडियो के बहुआयामी उपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने सामुदायिक रेडियो रियल टाइम डिसेमिनेशन का उपयुक्त स्रोत बताया। सभी विभागों की उपलब्धियों, क्रियाकलापों तथा अन्य सम्बन्धित विज्ञापनों को सामुदायिक रेडियो के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित करने के साथ ही राज्य की प्रत्येक विधान सभाओं में 60-70 सामुदायिक रेडियो सैल स्थापित किये जाने की भी उनके द्वारा पुरजोर वकालत की गयी। श्री भट्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सामुदायिक रेडियो केन्द्रों को सशक्त बनाने के लिये वे मुख्यमंत्री जी से वित्तीय मदद करायेंगे। उन्होंने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रबंधकों से सरकार की योजनाओं तथा आपदा से पूर्व तथा बाद की सूचनाएं प्रदेशवासियों के मध्य और अधिक प्रभावी ढंग से प्रसारित करने की अपेक्षा की।

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के अधिशासी निदेशक डॉ.पीयूष रौतेला द्वारा उत्तराखण्ड के विशेष परिप्रेक्ष्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राज्य के परम्परागत ज्ञान और सामुदायिक रेडियो की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुये उत्तराखण्ड की सामुदायिक रेडियो नीति के मुख्य बिन्दुओं को साझा किया। डॉ.रौतेला ने बताया कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार इच्छुक संस्थान व संगठनों को उनकी कुल परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम पांच लाख धनराशि तक का अनुदान देगी। नीति में दूर-दराज के क्षेत्रों में रेडियो स्टेशनों को प्राथमिकता देने के साथ ही उनमें स्थापित संसाधनों का आपदा बीमा कराया जाना अनिवार्य बनाया गया है। अनुदान लेने से पहले रेडियो स्टेशनों को भूमि व भवन में आपदा सुरक्षा मानकों से आच्छादित होने का सर्टीफिकेट देना होगा। उन्होंने बताया कि रेडियो स्टेशनों के आर्थिक स्वावलम्बन व इनकी निरन्तरता बनाये रखने के लिये केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं हेतु आवंटित बजट में से एक नियत अंश इनके लिये रखा जायेगा इन रेडियो स्टेशनों द्वारा आपातकालीन सूचनाओं व जानकारियों को अपने कार्यक्रमों में वरीयता दी जायेगी तथा उक्त अवहेलना पर सम्बन्धित रेडियो स्टेशन के लाईसेन्स निरस्त करने की संस्तुति की जा सकती है।

कार्यशाला में आईडियोसिंक मीडिया कम्बाइन के अधिशासी निदेशक श्री एन.रामाकृष्णन ने भारत के विशेष परिप्रेक्ष्य में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थिति, नीति, स्थापना, बजट व्यवस्था, प्रशिक्षण पर जानकारी मुहैया करायी। उन्होंने सामुदायिक रेडियो को लोगों द्वारा लोगों के लिये उपयुक्त संसाधन बताया। इस मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग भी की गयी।

कौमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेन्टर की कम्यूनिटी रेडियो पूर्व सलाहकार सुश्री रूकमणी वेमराजु द्वारा "सामुदायिक रेडियो के उद्देश्य एवं उसके दर्शन की समझ" पर अपने विचार व्यक्त किये गये।

कार्यशाला में हेवलवाणी, रेडिया लुइट, नार्थ-ईस्ट, मनदेशी तरंग वाहिनी, रेडियो नमस्कार, वक्त की आवाज के प्रतिनिधियों द्वारा खुले मंच से सक्सेज स्टोरीज तथा प्रतिभागियों के साथ अपने विचार साझा किये। राज्य के सबसे पुराने सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेवलवाणी के स्टेशन निदेशक ने खुशी जाहिर की कि सरकार की यह अच्छी पहल है जिससे लोग अपनी समस्याएं व महत्वपूर्ण सूचनाएं दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हुये भी साझा कर पायेंगे। सरकार द्वारा उन्हें पूरा सहयोग दिया जायेगा।

कार्यशाला में राज्य आपदा प्रतिवादन बल, वन, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, पुलिस, विद्यालयी शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारी और विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक एवं छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कार्यशाला में सभी विभागों से उत्तराखण्ड की कम्यूनिटी रेडियो पॉलसी को बेहतर बनाने के लिये सुझाव लिये गये ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम के साथ जुड़ सकें और आपदा की स्थिति में दूर-दराज के क्षेत्रों में अधिक से अधिक कम्यूनिटी रेडियो स्थापित करके दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों से जुड़ सकें।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में भारत रत्न पं.गोविन्द बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किये।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 7 अक्टूबर को इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन के बाद उत्तराखण्ड के उद्यमियों द्वारा की जा रही नई पहल का अवलोकन करेंगे। उद्यमियों की चयनित प्रदर्शनी पवेलियन में लगाई जाएगी। इस सिलसिले में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने उत्तराखण्ड में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

मुख्य सचिव ने सोमवार को सचिवालय में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों के प्रतिनिधियों से नई और आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए कहा। उत्तराखण्ड में किसानों की आय दोगुना करने के लिए और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रदर्शित करने का आह्वान किया। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, आईआईटी रुड़की, इंडियन रिमोट सेंसिंग, पंत नगर यूनिवर्सिटी के जन उपयोगी प्रयोगों का प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में हीरो होंडा, लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, फ्लेक्स फूड, हंस फाउंडेशन, हेस्को, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, सनफोक्स, अनंदा वैलनेस होलिस्टिक डेस्टिनेशन आदि औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने विशेष उत्पादनों और प्रयोगों के बारे में जानकारी दी।

बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार, सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड के पंकज गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।